उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-15-आडिट-1-133/दस-2016-315(2)/15
लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2016

विज्ञप्ति

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अधीन चयन वर्ष 2015-16 उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर चयन हेतु हुई विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27-11-2015 में श्री बजरंगी सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने के कारण तत्समय चयन समिति की संस्तुतियां बन्द लिफाफे में रखी गयी। श्री बजरंगी सिंह के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 26-2-2016 द्वारा कठोर चेतावनी देते हुए समाप्त की गयी है। 'कठोर चेतावनी' दण्ड की श्रेणी में नहीं होने के आलोक में सम्बन्धित लिफाफे को खोला गया, जिसमें पाया गया कि चयन समिति द्वारा श्री बजरंगी सिंह को अनुशासनिक कार्यवाही में निर्दोष पाये जाने पर उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2- अत: श्री राज्यपाल महोदय, श्री बजरंगी सिंह, सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी (पदाभिहित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी) सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ मुख्यालय को उनके कनिष्ठ श्री राकेश कुमार सिंह को प्रोन्नत किये जाने की तिथि 10-12-2015 से उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'क' वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/-) के पद पर नोशनल पदोन्नति किये जाने, प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से पदोन्नत किये जाने तथा उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, पैकफेड लखनऊ (श्री पदम जंग उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी पैकफेड) की प्रोन्नति/स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त हो रहे) पद पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

3- उक्त सम्बन्धित अधिकारी को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर 01 वर्ष को विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/15-आडिट-1-133(1)/दस-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, (पैकफेड) गोमतीनगर, लखनऊ।
5- सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( विमल किशोर खन्ना )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।